(11)

R. 1708/एल/14

हरीश जौहरी
30-4-2014

अनोपसिंह पिता स्व. श्री चन्दरसिंह राजपूत,
आयु-51 वर्ष, धंधा-काश्तकारी,
निवासी ग्राम खजूरिया जागीर,
तेहसील एवं जिला देवास (म0प्र0) ---आवेदक/निगरानीकर्ता

:: विरूद्ध ::

1/9
/4/2014

श्रीमती प्रकाशबाई पति कमलसिंह राजपूत,
आयु 42 वर्ष लगभग, धंधा-गृहकार्य,
निवासी ग्राम खजूरिया जागीर,
तेहसील एवं जिला देवास (म0प्र0) ---अनावेदक/प्रत्यर्थी

No. 54, Vi...

(12)

अनोपसिंह विरूद्ध प्रकाशबाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1708 –एक/14 जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–14	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत इस आशय का आवेदन दिए जाने पर कि अनावेदिका प्रकाशबाइ के कथन पूर्व में हो चुके हैं परंतु साक्षी के कथन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा उनका स्थानांतरण हो चुका है अतः पुनः प्रकाशबाई को साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये । इस आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व पीठासीन अधिकारी को नस्ती भेजकर हस्ताक्षर कराए गए हैं तथा प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । आवेदक द्वारा जब यह स्वीकार किया गया है कि अनावेदिका के कथन पूर्व में हो चुके हैं, जिस पर त्रुटिवश पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति मे यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	